आर0टी0 सन्देश

सेवामें – अपर पुलिस अधीक्षक एवं समस्त क्षेत्राधिकारी/प्रतिसार नि0/प्रभारी डायल100/प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष/फायर सर्विस/रेडियोशाखा/अभिसूचना इकाई /सी0सी0टी0एन0एस0 जनपद जालौन।

प्रेषक– पुलिस अधीक्षक जालौन।

संख्या– कोविड 2020 दिनांकः जुलाई, 01 ,2020

विषय– सार्वजनिक स्थानो पर पान मसाला/ तम्बाकू /अन्य तम्बाकू उत्पाद प्रतिबंधित एवं आवश्यक कार्यवाही के सम्वन्ध में।

आज पूरा विश्व कोरोना (कोविड–19) महामारी के विरुद्व संघर्ष कर रहा है। उत्तर प्रदेश का यह जनपद भी इस संघर्ष से अलग नही है। इस महामारी को देखते हुए जनपद मे आमजन की सुरक्षा को लेकर सभी आवश्यक कदम उठाये जा रहे है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था और लोगो के जीवनयापन की दृष्टि से अनलॉक में कई प्रकार की छूट दी गयी है जरूरत के लिए बाजार एवं अन्य गतिविधियॉ शुरू कर दी गयी है छूट के बाद ऐसे अनेक मामले सामने आ रहे है जहॉ गाइडलाइन का पालन नही किया गया है या नही किया जा रहा है। आप सभी को अवगत कराना है कि कोरोना ( कोविड–19) अभी खत्म नही हुआ है सावधानी ही संक्रमण से सुरक्षा का मूल मंत्र है।

चूँकि प्रदेश मे लगभग 29.4% लोग धूम्रपान रहित तम्बाकू का किसी न किसी रूप से सेवन करते है जो कि वर्तमान मे तम्बाकू एवं पान –मसाला का सेवन कर इधर उधर थूकने से कोरोना वायरस ( कोविड–19) को फैलने मे सहायक हो रहा है ,एवं प्रधानमंत्री द्वारा बहुउद्देशीय स्वच्छ भारत मिशन व अन्य बीमारियो की रोकथाम हेतु भी तम्बाकू व पान मसाला का सेवन बहुत बडी बाधा हैं।

अतः कोरोना वायरस ( कोविड–19) को ध्यान मे रखते हुए आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अपने दैनिक अभियान के दौरान सार्वजनिक स्थानो पर धूम्रपान, पान मसाला खा कर इधर उधर तथा खुली सिगरेट की बिक्री एवं हुक्का के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिवंध लगाना सुनिश्चित करे। साथ ही साथ यह भी निर्देश दिया जाता है कि कोटपा–2003 के नियमो/ उपनियमो अन्तर्गत कार्यवाही करेगें तथा कृत कार्यवाही से मुझे भी अवगत करायेगें।

पुलिस अधीक्षक
जालौन

प्रतिलिपि–
1. जिलाधिकारी जालौन को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. राज्य नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम स्वास्थ्य भवन लखनऊ को सूचनार्थ।
3. मुख्य चिकित्साधिकारी उरई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

Scanned with CamScanner